

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 1(6)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक

22 SEP 2017

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा 1, धारा 10 की उपधारा 1 एवं धारा 16 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार निम्नलिखित कॉलम संख्या 3 में वर्णित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की अतिरिक्त बैठक का स्थान कॉलम संख्या 5 के अनुसार प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस निम्नानुसार नियत करती है:-


क्र०सं०	न्यायालय का नाम	न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान	अतिरिक्त बैठक का स्थान
1	2	3	4	5
1.	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 3 अजमेर (अजमेर न्यायक्षेत्र)	अजमेर	अजमेर	नसीराबाद
2	अपर जिला न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ (अलवर न्यायक्षेत्र)	अलवर	लक्ष्मणगढ़	कटुमर
3	अपर जिला न्यायाधीश, छबडा (बारां न्यायाक्षेत्र)	बारां	छबडा	अटरू
4	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2 भरतपुर (भरतपुर न्यायक्षेत्र)	भरतपुर	भरतपुर	कुम्हेर
5.	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1 बयाना (भरतपुर न्यायक्षेत्र)	भरतपुर	बयाना	वैर
6.	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 3 भीलवाड़ा (भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र)	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़
7.	अपर जिला न्यायाधीश, शाहपुरा (भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र)	भीलवाड़ा	शाहपुरा	जहाजपुर
8.	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1 बूंदी (बूंदी न्यायक्षेत्र)	बूंदी	बूंदी	केशोरायपाटन
9.	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1 नोहर (हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र)	हनुमानगढ़	नोहर	रावतसर
10.	अपर जिला न्यायाधीश, परबतसर (मेड़ता न्यायक्षेत्र)	मेड़ता	परबतसर	मकराना
11.	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1 आबूरोड़ (सिरोही न्यायक्षेत्र)	सिरोही	आबूरोड़	पिण्डवाड़ा
12.	अपर जिला न्यायाधीश, टोंक (टोंक न्यायक्षेत्र)	टोंक	टोंक	देवली

राज्यपाल के आदेश से

22/9/17
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक
8. संबंधित अपर जिला न्यायाधीश।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को
राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव